

W



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :242 /NCRES/19

Date : 02.9.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय:- श्री राजित राम वरि. खं. अभियन्ता (रेल पथ) चुनार को ग्रुप "बी" ADEN/AXEN के पद पर प्रमोशन आदेश जारी करने हेतु।

- सन्दर्भ:- (i) नोटिफिकेशन संख्या 797- E/Gaz/Selection-30%/Civil/NCR- 2007-2009 & 2009-11 दिनांक 24.02.2014
- (ii) उपरोक्त नोटिफिकेशन के तहत जारी प्रोविजनल पैनल द्वारा आदेश सं. 797/E/Gaz/Gr 'B' Selection/30%/Civil/NCR/2007-11 दिनांक 23.03.2018
- (iii) उपरोक्त नोटिफिकेशन हेतु Viva-Voce के लिये जारी पत्र सं. 797- E/Gaz selection/30%/Civil/NCR- 2007-11 दिनांक 10.01.2018
- (iv) इस सम्बन्ध में माननीय कैट/इलाहाबाद का OA सं. 330/00431/2018 दिनांक 13.11.2018 का अन्तरिम आदेश
- (v) कोर्ट के आदेश के बाद NCR प्रशासन द्वारा जारी Speaking Order दिनांक 02.08.2019
- (vi) SC-ST की Single Vacancy को De-reservation कर carry forward कर UR कर्मचारी को प्रमोट करने के सम्बन्ध में मास्टर सर्कुलर नं. 51 का पैरा नं. V (2) (3) ii (a) एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या RBE 58/2001/ 99-E/(SCT)I/25/26 दिनांक 16.03.2001

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इन्जीनियरिंग विभाग की 30 % ग्रुप "बी" LDCE के 4 पदों (UR-01, SC-01, ST-02) का नोटिफिकेशन दिनांक 24.02. 2014 को निकाला गया था, जिसमें लिखित परीक्षा में UR कैटेगरी के श्री भावेश कुमार भारद्वाज एवं श्री राजित राम को Viva-Voce के लिये सुयोग्य पाया गया था एवं SC/ST कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हुआ था। Viva-Voce के बाद केवल श्री भावेश कुमार भारद्वाज को ही प्रोविजनल पैनल में शामिल किया गया।

श्री राजित राम ने कैट/इलाहाबाद में वेकेन्सी होने का हवाला देते हुये खुद को प्रोविजनल पैनल में शामिल करने हेतु अपील की थी जिसपर कोर्ट के आदेश पर NCR प्रशासन द्वारा 02.08.2019 को Speaking Order जारी किया गया था।

NCRES का मानना है कि Speaking Order में जिस तथ्य का हवाला देकर श्री राजित राम को प्रोविजनल पैनल में शामिल करने से इन्कार किया गया है, वह पूर्णतया गलत है क्योंकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 86- E(SCT)I/80/1 दिनांक 09.09.1987 में सीधी भर्ती के केस में De-reservation को मना किया था, जबकि श्री राजित राम LDCE प्रमोशन कोटे के तहत सिलेक्ट हुये थे।

इसके अतिरिक्त NCRES को यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 58/2001 दिनांक 16.03.2001 (संलग्न) में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती एवं प्रमोशन दोनो के केस में SC/ST की Single Vacancy को सुयोग्य उम्मीदवार न मिलने पर De-reserve कर UR कैटेगरी के अगले सुयोग्य उम्मीदवार से भरकर SC-ST की Vacancy को Carry Forward किया जाना चाहिये, जबकि श्री राजित राम के केस में ऐसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त स्थिति में NCRES का अनुरोध है कि श्री राजित राम का नाम ADEN/AXEN के प्रोविजनल पैनल में शामिल करते हुये प्रमोशन आदेश जारी करने हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं की गयी कार्यवाही से NCRES को भी अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्न : RBE No. 58/2001 Dt. 16.3.2001

mij 4/11/21
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री